क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4574/तक/वैज्ञा/क्षेका/छ.प.सं.मं/2020 रायपुर दिनांक 11/02/2020

प्रति,

सदस्य सचिव महोदय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषयः— माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 854/2019, प्रणय कुमार एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के संबंध में ।

संदर्भ :— मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 8825 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.01.2020

—=::0::=—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रश्न के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 854/2019, प्रणय कुमार एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट संलग्न कर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

# विवरण

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक 854/2019, प्रणय कुमार एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के संबंध में ।

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 8825 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.01.2020.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | शिकायतकर्ता | – | वृक्षमित्र ग्रुप एवं ग्रामवासी। |
| 2. | रेत खदान | – | खसरा नम्बर 3756 का भाग, ग्राम–कोपरा, तहसील –राजिम, जिला–गरियाबंद। |
| 3. | शिकायत का विषय | – | पर्यावरण एवं तटबंध को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ प्राथमिकि दर्ज करने बाबत्। |
| 4. | रेत खदान को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति | – | राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक 4975 दिनांक 14.03.2016 |
| 5. | कुल लीज क्षेत्र | – | 5.05 हेक्टेयर |
| 6. | पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता | – | दिनांक 14.03.2016 से 13.03.2018 तक |
| 7. | रेत उत्खनन क्षमता | – | 50,000 धनमीटर/वर्ष |
| 8. | निरीक्षण दिनांक | – | 07.02.2020 |
| 9. | निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि | – | श्री प्रणय साहू (शिकायतकर्ता)<br>श्री मेध सिंग (शिकायतकर्ता)<br>श्रीमती डाली साहू (सरपंच)<br>श्री करन यादव (शिकायतकर्ता)<br>श्री कमल नारायण साहू (ग्रामवासी) |
| 10. | निरीक्षणकर्ता का नाम | – | 1. बाबूलाल नागेश (सहायक खनिज अधिकारी)<br>2. मिदुल गुहा (खनिज निरीक्षण)<br>3. श्रीमती चंद्रिका कंवर (वैज्ञानिक)<br>4. खेमचंद साहू (रसायनज्ञ) |

पायी गयी स्थिति :– उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 07.02.2020 को खनिज विभाग जिला–गरियाबंद एवं इस कार्यालय के संयुक्त दल द्वारा रेत खदान ग्राम–कोपरा, तहसील –राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) का निरीक्षण किया गया। स्थल पंचनामा की छायाप्रति संलग्नक–1 अनुसार है। निरीक्षण के दौरान रेत उत्खनन एवं परिवहन कार्य किया जाना नही पाया गया तथा वर्तमान में रेत का उत्खनन कार्य बंद है। उपसंचालक (खनिज) कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–गरियाबंद को प्रकरण के संबंध में जानकारी एवं की गयी कार्यवाही के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी मंगायें जाने बाबत् पत्र दिनांक 10.02.2020 प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्नक–2 अनुसार है। शिकायतकर्ताओं द्वारा श्री डोमेश्वर यादव पिता चेतन यादव, ग्राम–कोपरा, थाना–पाण्डुका,

जिला–गरियाबंद (छ.ग.) के संबंध में शिकायत की गयी है, जिसके संबंध में श्री डोमेश्वर यादव द्वारा बताया गया की उनके पास स्वयं का ट्रेक्टर नही है, उक्त ट्रेक्टर श्री चेतन यादव के नाम से है, जिसका उपयोग कृषि कार्य में एवं कभी–कभी घरेलू समान ढुलाई हेतु किया जाता है तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा आपसी मतभेद के कारण शिकायत किये जाने का उल्लेख किया गया है, श्री डोमेश्वर यादव के उक्त कथन पत्र की छायाप्रति संलग्नक–3 अनुसार है। वस्तुस्थिति की जानकारी कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

खेमचंद साहू
(रसायनज्ञ)

श्रीमती चंद्रिका कंवर
(वैज्ञानिक)

पंचनामा      स्थान - कोपरा
दिनांक - 07/02/2020

हम सभी उपस्थित शिकायत कर्ता सत्यपूर्वक कथन करते हैं कि आज दिनांक 07/02/2020 को खनिज विभाग जिला गरियाबंद एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मण्डल कबीर नगर रायपुर के दल द्वारा संयुक्त रूप से NGT को की गई शिकायत का निरीक्षण किया गया शिकायत के संबंध मे मौका निरीक्षण मे रेत का उत्खनन परिवहन नहीं किया जाना पाया गया पूर्व मे किये गये कार्य मे ग्रामवासीयो द्वारा रेत परिवहन किया गया था किन्तु अभी विगत 04 माह से बंद है पूर्व रेत खदान सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा को 14/03/2016 से 13/03/2018 तक स्वीकृत था

1) श्री प्रणय साहू पिता श्री धनुषधारी साहू [signature]
निवासी ग्राम - कोपरा
2) श्री मेघ सिंग पिता स्वर्गीय श्री साधुराम [signature]
निवासी - कोपरा वृक्ष रोपण समिति
3) श्रीमति डली साहू पति श्री अजय साहू
सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा [signature]
4) श्री करन यादव पिता श्री नारायण यादव [signature]
निवासी ग्राम कोपरा
5) श्री कमल नारायण साहू पिता श्री कुंजलाल कमलनारायण साहू
निवासी - ग्राम - कोपरा

[signature] 7/2/20

[signature]
07.02.2020
(Chemist)

[signature]
Scientist
CECB

कथन मेरे द्वारा लिया गया
[signature] मिथुन गुप्ता
खनि निरीक्षक

संलग्नक-02

एन.जी.टी./महत्वपूर्ण
समयसीमा

# क्षेत्रीय कार्यालय
## छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
E-mail - rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 4571 /क्षेका/छ.प.सं.मं./2020 रायपुर दिनांक 10/02/2020

प्रति,

उपसंचालक (खनिज)
कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा,
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक 854/2019, प्रणय कुमार एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के संबंध में ।

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 8825 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.01.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक 4975 दिनांक 14.03.2016 के माध्यम से सरपंच, ग्राम पंचायत कोपरा, ग्राम–कोपरा, तहसील –राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) को ख.न. 3756 का भाग, ग्राम पंचायत कोपरा, ग्राम–कोपरा, तहसील –राजिम, जिला–गरियाबंद कुल लीज क्षेत्र 5.05 हे. मे रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 धनमीटर वर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.03.2016 से 13.03.2018 तक के लिये जारी किया गया था। उक्त रेत खदान के संबंध में मंडल मुख्यालय के पत्र कमांक 8825 दिनांक 03.01.2020 के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के ओ.ए. कमांक 854/2019 की प्रति एवं नदी में अवैध रेत उत्खनन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति संलग्न है। प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम कोपरा में स्वीकृत रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के पश्चात् रेत उत्खनन किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं शिकायत पत्रो में उल्लेखित तथ्यो के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी अविलंब इस कार्यालय को ई–मेल एवं हार्ड कापी के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि जानकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर मंडल मुख्यालय भेजी जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क. 4572 /क्षेका/छ.प.सं.मं/2020 रायपुर दिनांक 10/02/2020

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

संलग्नक - 03

# डोमेश्वर यादव का कथन

मैं डोमेश्वर यादव पिता श्री चेतन यादव उम्र-38 वर्ष निवासी ग्राम कोपरा तहसील राजिम थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद का हूँ। मैं सत्य पूर्वक कथन करता हूँ कि आज दिनांक 07/02/2020 को पर्यावरण संरक्षण मण्डल कबीर नगर रायपुर एवं खनिज विभाग जिला गरियाबंद के दल द्वारा संयुक्त रूप से जाँच किया गया है मेरे पास ट्रेक्टर क्र. CG04 DM 3739 है जो कि श्री चेतन यादव के नाम से है जिसका उपयोग कृषि कार्य मे एवं कभी कभी घरेलु समान ढुलाई हेतु किया जाता है। शिकायतकर्ताओं द्वारा आपसी मतभेद एवं चुनाव (पंचायत चुनाव) को मद्देनजर रखते हुये मेरे विरुद्ध शिकायत किया गया है मेरे पास कोई ट्रेक्टर नही है मैं कृषि कार्य करता हूँ। मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत की गई है

डोमेश्वर यादव
7/02/2020

गवाह :- 1 श्री दिनेश यादव
नि० कोपरा
दिनेश यादव

(2) श्री महेश तारक S/o सन्तु राम तारक   महेश तारक

(3) श्री चमरु राम पटेल
चमरु राम

(4) दुज राम साहू
दुजराम

(5) छन्नू लाल यादव
छन्नू यादव

# राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

## भारत सरकार

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

व्यवसायिक परिसर,
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल: seiaacg@gmail.com

क्र. 4975 /एस.ई.आई.ए.ए. छ.ग. / सी. / रेत / गरियाबंद / 168 रायपुर दिनांक 14/3/2016

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत कोपरा,
ग्राम– कोपरा, तहसील– राजिम,
**जिला–गरियाबंद (छ.ग.)**

विषय :– खसरा नं. 756 का भाग, ग्राम– कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5.05 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर/वर्ष को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6838 / ख.नि 02 / रेत (ईसी) / क्र. 38 / 1996 नया रायपुर दिनांक 01 / 12 / 2015 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 05 / 01 / 2016

---:: 00 ::---

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया पत्र दिनांक 01 / 12 / 2015 एवं 05 / 01 / 2016 का अवलोकन हो।

- **ऑनलाईन** आवेदन प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 33160 / 2015, आवेदन दिनांक 24 / 11 / 2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6838 / ख. नि 02 / रेत (ईसी) / क्र. 38 / 1996 नया रायपुर दिनांक 01 / 12 / 2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव** का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 756 का भाग, ग्राम– कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5.05 हेक्टेयर में है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–93,128 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव** के साथ संलग्न मुख्य **प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कोपरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्रावी अवस्थी, उप संचालक, (खनि. प्रशा.), संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, नया रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –**

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–कोपरा 2.0 किमी की दूरी पर स्थित है। बोरिद शैक्षणिक संस्थान 1.0 किमी की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग क्रमांक 02 लगभग 2.0 किमी की दूरी पर है। विगत 05 वर्षों में निकाले जाने रेत की मात्रा 2,936 घनमीटर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 200 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1000 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 93,168 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 01/01/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 177वीं बैठक दिनांक 05/01/2016 में प्रस्तुतीकरण के लिए श्री दीनु राम यदु, सचिव, ग्राम पंचायत कोपरा एवं श्री सनत कुमार साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. <u>पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी</u> विवरण :– पूर्व में रेत खदान खसरा नं. – 3756, रकबा– 5.05 हेक्टेयर, क्षमता– 80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 2018 दिनांक 07/03/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र क्रमांक 367 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों

का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत कोपरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जाये ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत उत्खनन की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 3756 का भाग, ग्राम– कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5.05 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 57वीं बैठक दिनांक 27/02/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 3756 का भाग, ग्राम– कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5.05 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार खसरा नं. 3756 का भाग, ग्राम– कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5.05 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.05 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर ... से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manua... जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) अ... उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी... की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावे... उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी... दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परि... में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक र... नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम ... मीटर की दूरी छोडकर ही किया... जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं उस पर नियंत्रण रखा जा सकें सा... किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स... संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का ... क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बि... एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र... कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर ... । कछुओं के प्रजनन इकाईयों... क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही दि... जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रा... के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों ... लोडिंग / अनलोडिंग आदि... उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन ... नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूष... नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रे... उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन ए... जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। ... मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता** के आधार पर खदान **प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु** कम से कम 200 नग **प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल**, नीम, करंज, सासू, **आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों** का रोपण नदी **तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त** एवं पर्याप्त व्य**वस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया** जावे। नदी तट **पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत** द्वारा चिन्हित क्षेत्र **में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे

17. कार्य स्थल पर यदि बाहरी श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी हेतु सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ. क्र. 4976 /एस.ई.आई.ए.ए. छ.ग./रेत/गरियाबंद/168 रायपुर दिनांक 14/3/2016

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
2. डायरेक्टर, जीओलॉजी एवं माईनिंग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
3. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
5. कलेक्टर, जिला - गरियाबंद (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़